

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013—

/पटना, दिनांक

प्रेषक

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

विषय— वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना (योजना) बजट के मुख्य शीर्ष—“4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष— 02— तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष—105— इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या— 43, उपशीर्ष—0102— पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” विपत्र कोड —पी 4202021050102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—667, दिनांक 02.03.2016 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्वीकृत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम में वर्ष 2016-17 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं पुस्तक/ सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 1,35,00,000=00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राशि गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय तथा 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्षों में उपबधित राशि से कुल रू. 1,35,00,000=00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है—

क्रम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	13 01 कार्यालय व्यय	8,00,000=00
2	52 01 मशीनें एवं उपस्कर	1,27,00,000=00
	कुल	1,35,00,000=00

(क)

(क) एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभारी प्राचार्य, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

706MV /पटना, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वृत्त - 2/1
15/3/16

15/3/16
अपर सचिव

महा
अपर सचिव